सभी किशोर संबंधों को अपराध मानने का मुद्दा

यूपीएससी प्रासंगिकता- प्रारंभिक परीक्षा-पॉक्सो अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, सामान्य टिप्पणी संख्या 20 - यूएनसीआरसी।
मुख्य परीक्षा-सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1 - समाज, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - शासन एवं राजव्यवस्था।
निबंध-निबंध या मुख्य परीक्षा में प्रयुक्त उद्धरण:
"दुख की बात है कि सच्चा न्याय अभियुक्त को कारावास की सजा न देने में निहित है... यदि हम अभियुक्त को जेल भेज देते हैं, तो सबसे अधिक पीड़ित स्वयं पीड़िता होगी।" - भारत का सर्वोच्च न्यायालय (मई 2025 का निर्णय)

चर्चा में क्यों

● एक ऐतिहासिक फैसले (किशोरों के निजता के अधिकार के संबंध में, मई 2025) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सज़ा न देने का फैसला किया, और इस किशोर लड़की पर पड़ने वाले विनाशकारी भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक प्रभाव को स्वीकार किया।

● यह मामला एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो इस बात पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है कि भारतीय कानून किशोर संबंधों को किस प्रकार देखता है - आपराधिक कृत्यों के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और भावनात्मक संदर्भों द्वारा आकार लेने वाली जटिल वास्तविकताओं के रूप में।

पृष्ठभूमि

● पॉक्सो अधिनियम, 2012 ने सहमति की आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित सभी यौन गतिविधियों को, चाहे उनकी सहमति हो या न हो, प्रभावी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया।

● यह परिवर्तन, हालाँकि बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए किया गया था, लेकिन इसने किशोरावस्था में सहमति से बने संबंधों को भी अपराध की श्रेणी में ला दिया है, जिसके अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं।

"सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून, कुछ मामलों में, संरक्षित व्यक्ति को ही दंडित कर सकता है।"

केस अवलोकन: किशोरों के निजता के अधिकार के संबंध में

केस के तथ्य

- पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र की एक 14 वर्षीय लड़की 25 वर्षीय व्यक्ति के साथ भाग गई।
- बाद में उनका एक बच्चा हुआ और वे एक परिवार की तरह तब तक रहे जब तक कि उस व्यक्ति को POCSO के तहत बलात्कार और गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तार नहीं कर लिया गया।

अदालती कार्यवाही

- विशेष पॉक्सो अदालत ने उसे 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसकी पीड़ा और उत्पीड़न के अभाव को देखते हुए, उसकी सज़ा को पलट दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सज़ा बहाल कर दी, लेकिन अनुच्छेद 142 के दुर्लभ प्रयोग में, यह कहते हुए सज़ा नहीं सुनाई:

"सच्चा न्याय अभियुक्त को सज़ा न देने में निहित है... अगर हम उसे जेल भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित पीड़िता ही होगी।"

Result Mitra

वर्तमान कानूनी ढाँचे से जुड़े प्रमुख मुद्दे

1. POCSO के तहत व्यापक अपराधीकरण

- कानून शोषणकारी दुर्व्यवहार और मानक किशोर प्रेम के बीच अंतर नहीं करता।
- इसके कारण, विशेष रूप से निम्न-आय या ग्रामीण पृष्ठभूमि में, युवाओं को सहमति से किए गए कृत्यों के लिए अपराधी करार दिया जाता है।

"देखभाल, स्नेह और भोलेपन को अपराध बनाना न तो सुरक्षा है और न ही न्याय।"

2. किशोर एजेंसी का इनकार

- किशोरों को अक्सर निष्क्रिय पीड़ितों के रूप में चित्रित किया जाता है जो सूचित निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं।
- यह UNCRC की सामान्य टिप्पणी 20 के विपरीत है, जिसमें साथियों के बीच सहमति से, शोषणकारी यौन गतिविधि को अपराध न मानने का आह्वान किया गया है।

3. सामाजिक-आर्थिक परिणाम

- इस मामले में लड़की को परित्याग, निगरानी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा - रिश्ते के कारण नहीं, बल्कि कानूनी परिणामों के कारण।

"कई लड़कियों के लिए, असली आघात तब शुरू होता है जब पुलिस आती है।"

4. कलंक और पुनः पीड़ित होना

- कानून 18 वर्ष से कम उम्र के सभी नाबालिगों को पीड़ित मानता है, जिससे उनकी आवाज़, पसंद और गरिमा छिन जाती है।
- इसके बाद सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक अस्वीकृति और आश्रय गृहों में संस्थागतकरण होता है।

जमीनी हकीकत का अनुभवजन्य साक्ष्य

- एनफोल्ड द्वारा (Enfold's study) 7,064 POCSO निर्णयों (असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र) का अध्ययन:
  - 24.3% "प्रेम प्रसंग" के मामले थे।
  - ऐसे 82% मामलों में, पीड़ितों ने अपने साथी के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया।
- स्पष्ट रूप से, किशोर संबंध कोई दुर्लभ अपवाद नहीं, बल्कि बार-बार होने वाले पैटर्न हैं।

"जब सुरक्षा कानून नियंत्रण के हथियार बन जाते हैं, तो प्रेम विद्रोह बन जाता है।"

न्यायिक असंगति

- कुछ उच्च न्यायालय किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराधमुक्त करने की वकालत करते हैं।
- फिर भी, बॉम्बे उच्च न्यायालय (2025) जैसे अन्य न्यायालय संसदीय सुधार की प्रतीक्षा में राहत देने से इनकार करते हैं।
- यह खंडित दृष्टिकोण नीति की नहीं, बल्कि मामले-दर-मामला दया की सीमाओं को उजागर करता है।

"दया सुधार का विकल्प नहीं है।"

सामाजिक और संरचनात्मक विफलताएँ

निर्णयों में पितृसत्तात्मक भाषा

- उच्च न्यायालयों ने लड़कियों को "अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण" रखने का सुझाव देने जैसी प्रतिगामी टिप्पणियाँ की हैं - जिससे स्त्री-द्वेषी मानदंडों को बल मिला है।

संस्थागत और कानूनी विफलता

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला "हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था की पूर्ण विफलता" को दर्शाता है।
- बाल संरक्षण तंत्र, परामर्श और पुनर्वास का अभाव आघात को बढ़ाता है।

Result Mitra

आगे की राह

1. कानूनी सुधार

- गैर-शोषणकारी स्थितियों में 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की सहमति को मान्यता देने पर विचार करें।
- समान आयु के रोमांटिक संबंधों के लिए अपवाद बनाएँ।

2. सहायता-आधारित राज्य प्रतिक्रिया

- केवल सज़ा ही नहीं, बल्कि परामर्श, सहायता और पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करें।
- बच्चों के प्रति संवेदनशील कानूनी प्रक्रियाएँ और आघात-सूचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करें।

3. व्यापक यौन शिक्षा

- स्कूलों में जीवन-कौशल प्रशिक्षण और यौन शिक्षा शुरू करें।
- किशोरों को सूचित विकल्प बनाने और ज़बरदस्ती को पहचानने के लिए सक्षम बनाएँ।

"शिक्षा, न कि कारावास, आगे बढ़ने का रास्ता है।"

निष्कर्ष

- यह मामला कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक दोषपूर्ण व्यवस्था की झलक है।
- सच्चा न्याय दंड से संरक्षण की ओर, और नैतिक भय से सुविचारित नीति की ओर बढ़ना चाहिए।
- किशोरों को केवल पीड़ित या अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि सीमित परिस्थितियों में जीवन जीने वाले व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए, अक्सर व्यवस्था की अपेक्षा से कहीं अधिक साहस के साथ।

"जब कानून वास्तविकता की अनदेखी करता है, तो वास्तविकता को नुकसान पहुँचता है। सुधार एक विकल्प नहीं है - यह एक कर्तव्य है।"

संभावित यूपीएससी प्रश्न:

प्रश्न: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक मानता है।
2. यह नाबालिगों के साथ सभी यौन क्रियाओं को, चाहे वे सहमति से ही क्यों न हों, अपराध मानता है।
3. यह शोषणकारी और गैर-शोषणकारी यौन गतिविधियों के बीच अंतर करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3 (D) केवल 1

उत्तर: (A)

मुख्य परीक्षा:

प्रश्न: "POCSO अधिनियम के तहत सभी किशोर संबंधों को अपराध घोषित करना एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो किशोर एजेंसी की उपेक्षा करता है।" उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। (10 अंक – 150 शब्द)